# [Shri R R. Morarka] The question is :

•'That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertakings of the Andhra Scientific Company Limited, with a view to securing the proper management of such undertakings so as to subserve the interest\* r > f the general public by ensuring the continuity of production of scientific instruments which are vital to the needs of the country and for matters connected therewith or incidental thereto, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the folio ving members namely'-

1. Shri R.R. Morarka

- 2. Shri Biswa Goswami
- 9. Shri Shrdhar Wasudeo Dhabe
- 4. Shri Suraj Prasad
- 5. Prof. Sourendra Bhattacharjee
- t\*. Shri G. C. Bhattacharya
- 7. Shri Nepaldev Bhattacharya
- 8; Shri Dipen Ghosh
- 9. Shri Rameshwar Singh
- io. Shri Hukmdeo Narayan Yadav
- 11; Shr<sup>5</sup> Hari Shankar Bhabhra
- 12. Shri R. Ramakrishnan
- 13. Shri Kalraj Mishra
- 14. Shrimati Mohinder Kaur

15. Shri Shiva Chandra Jha With instructions to report by the first week of the next Session."

The motion was negativ'd.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA) : Now, I will put the motion of the hon. Minister to vote. The question is

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertakings of the Andhra Scientific Company Limited, with a view to securing the pioper managment of such undertakings so as to subserve tlie interests  $\tilde{o}^{f}$  the general public by ensuring the conti nuity of production of scientific instruments which are vital to the needs of the country and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was odoplcd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKAJ : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 32 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the En ctm« Fornt' Ia, the Pnamble and the Title we-e added tn th' Bil'.

SHRI K. P. SINGH DEO : Sir, ) move .

"That tie Bill be pas«.d."

The gitestwi was put and tht motion uas adapted.

### THE LIMESTONE AND DOLOMITE MINE\* LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 1982

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : Mr. Vice-Chairman, Sil, \* beg to mo«:

"That tlie Bill to amend tlie Lime -stone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

275

### 277 Limestone oud Dolomite [ 3 NOV. 1982 ]

As the hon Members are already aware, the Limestone ?nd Dolomiu-Mines Labour Welware Fund Act, 1072, was evicted to provide fcr lev y and collection of a cess on I imes'one and dolomite for the financing of activities to promote the welfare o<sup>r</sup> persons emp'o/ed in the limestone and dolomite mines. The Act and the Rules of 1973 framed thereunder were brought into force with effect from the ist December, 1973. The rate of cess le<sup>1</sup> 'able under the Art has been fixed under *i.'ce* iu't'S a; 20 paise per metric 'onne ol' •imstrme and dolomite covered under th'? Act.

Since the inception of the Fund tii<sup>1</sup> the end of the financial year ifj.'!"-8i. over Rs 4 crores have been colleted by way of ces\*, out of which over Rs. 2.3 crores have been spent on various welfare measures contemplated under the Act for the limestone and dolomite mine workers. A total of 49,752 limestone and 7,527 dolomite mine workers employed in these mines are thus covered under this Act.

besides limestone, tiiere are other calcareous deposits viz. limeshell, calcareous sand and sea-sand essentially composed of limeshell, marl, kankar or limekankar. These are similar in chemical composition to limestone and are also used in the cement factories. Such mineral deposits should generally have been treated as limestone and covered under the Act but could not be covered under the Act in the absence of the definition of the limestone in the parent Act. The number of workers reported to be engaged in the mining of the calcareous sand, lime kankar, kankar and limeshell during 1980 was 4,978 and the total production 19,48,000 tonnes during rg80. Consumption of these minerals in cement factories was reported to be 10.43.714 tonnes. The production of marl has not ben reported.

# Welfare Fund (Amdt.) 278 Bill. 1982

The intention in defining limestone is, therefore, to levy and collect cess on the consumption of these minerals as well which is expected to be around Rs. 2 lakhs per annum, and to provide the same welfare facilites to these about 5,000 workers who have been denied the welfare amenities due to them, only due to this technical lacuna. The cess will, however, be levied on the consumption /sale/disposal of these minerals after this amended Act is brought into force.

The act has been administered on the basic promise that the duty is leviable. under section 3 of the principal Act, not only when the owner of limestone or dolomite uses the limestone or dolomite for the manufacture of cement, iron or steel but also when he uses it for other industrial Such an intention has been purposes. challenged by-the concerned parties. Recently in an appeal under the rules made under the Act, the view has been taken that an owner of limestone and dolomite mine who uses the limestone or dolomite produced in his mine, for purposes other than the manufacture of cement, iron or steel, is not liable to the payment of cess under the Act. Consequently about Rs. 9 lakhs which have been levied on chemical factories, for the purpose, could not be collected. Also if such a view is accepted, the Government will have to not only refund the cess collected earlier but also incur recurring loss of about Rs. 5.75 lakhs per annum.

The intention in amending Sections 3 and 4 of the Act is, therefore, to explicitly bring out our intention, to put aH the disputes at rest and the intention of the validation clause is to enable the Government to validate the cess levied and collected and also to co'lect the cess levied but not collected due to the legal disputes as aforesaid.

# 279 Limestone\find\DolDmite [ RAJYA SABHA ] Mines Labour

#### [Shri Dharmavir]

The other amendments proposed in the BiH are of miner nature. The Advisory Committees under the Act may at times feel the need to co-opt the members, to ensure that the various conce are represented in these committees and may also like to have expen advice. To meet such eventualities the Bill intends to empower the committees to co-opt members.

The powers of inspection of the factories and mines can, at present, be exercised only by inspection by welfare Administrators. The Welfare Commissioners who rank above the Welfare Administrators arealso to be conferred with such powers.

Similarly to keep a track of disposal of the minerals, the statistical details require to be collected not only from the mine-owners/ occupiers of factories, but also from the purchasing agents and stockists. This will ensure strict vigilance over cess collections.

I do not think that there is anything else relating to this Bill which requires explanation or specific comment. The matter, as the House will see, is urgent. Therefore, I am keen that this Bill be put on the Statute Book as early as possible.

With these words I beg to move that the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare (Amendment) Bill, 1982, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration and passed.

 The question
 was pioposed.

 THE
 VICE-CHAIRMAN

 (SHRI R. R. MORARKA):
 There is one amendment in the name of Shri

Chandra Jha.. SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar)

.Sir, I move :

"That the Bill to amend the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely:—

- 1. Shri R.R. Morarka
- 2. Shri Biswa Goswami
- 3. Shri R. Ramakrishnan
- 4. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
- 5. Shri-Nepaldev Bhattacharya
- 6. Shri Dipen Ghosh
- 7. Shri Suraj Prasad
- 8. Shri G.C. Bhattacharya
- Prof. Sourendia Bhattacharjee
- 10. Shri Rameshwar Singh
- 11. Shri Hukmdeo Narayan Yaday
- 12. Shri Hari Shankar Bhabra

13. Shri Kalraj Mishra

- 14. Shrimati Mohinder Kaur
- 15. Shri Shiva Chandra Jha

#### with instructions to report by 1 first week of the next session

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The motion for consideration of the Bill and the amendment moved by Shri Shiva Chandra Jha are open for discussion. Shri Joseph.

\*SHRI, JOSEPH OJ. (Keraia): Vice-Chairman Sir. I welcome Mr this Bill, this Bill seeks to bring about 5000 workers under the pur view of the welfare scheme envisa the Bill. While ged in welcoming the Bill I want to point out that employers the have been exempted from thier responsibility for ex tending the benefit sought to be

◆English translation of the original speech delivered in Malayalam.

#### 281 Limestone and Dolomite [ 3 NOV. 1982 ] Mines Labour

provided to the employees under this Bill. This is the most regretable draw back of this Bill.

Normally in the matter of employeremployee relationship if any difficulty arises for the employees, it is the duty of the management to take their share of the burden. But here we find that the Management of the mines have no responsibility. The contractors are also free of any responsibilities. On the other hand the factories consuming the limestone and dolomite have to pay a cess. That means the management does not have to bear any burden. The Government also doe3 not have to pay anything. The consumers, that means the common people, have to bear the whole burden. Other categories or workers have the benefit of E.S.I, an other kinds of benefits. But these workers have no such benefits and this welfare scheme is t,ow prposed to be laucnhed at the i ost of the public and the employers have been fully exomoted from all their obligations. This is the first draw back.

Another drawback in this Bill is that most of the workers engaged in this industry are contract workers and temporary emoloyees. They are not getting any benefit As'long^as the temoorary emoloyees, are not regularised and the contract system not terminated this catego / of emoloyees will not get any benefit. Therefore, although the intention behind this legislation is laudable I am afraid that it will not serve the prpose for which it is enacted.

Another thing I want to point out is about the W-lfVe Fund Committee. The earlier Committee hall its last meeting in 2nd January last after the laose of 8 ^years. This Committee is a nominated Cormvt<sup>1</sup>'ee in which the workers or their organisations haw no representation. Sir, they are meeting after eight years. Why should there be a Committee like that? I fail to understand. If it is to give any benefit to the workers, then their organisation should have representation in such Committees. This Bill also provides for nomination of one or two members as they like. Sir, it is a nominated Committee. This system does not inspire the confidence of workers in this Committee.

Thirdly how much is being levied for this Welfare Fund ? Just twenty paise per ton. Sir, the cost of the products of the mines has gone up more ten times alter 1971. Therefore, when the inflation has become so acute, if the cess is collected at the rate of 20 paise per ton, can all the problems of the workers be solved? I have no such illusion. But the Government might say that they had collected Rs. 4 crores and out of which only Rs. 2 crores have been spent and Rs. 2 crores are left with them. Then I would like to ask them that although the Government had spent about Rs. 90 lakhs last year, how many employees have benefited out of it. It is a common practice for the Government to claim that so much amount has been spent but they often fail to say how many people have been benefited and how much.

Sir, in my State five Block Development Officials have been suscended recently. They had sent false recorts about developmental activities. AU the developments were on pacers only. It was merely a false report. Therefore, simply by claiming that so much amount has been soent the workers are not going to benefit.

Sir, if you go to labour centres vou will be told that common facilities and recreation centres are being set up for workers. But actually what you will find is

### 283 Limestone and Dollpmite [tfAJYA SABHA] Mines Labour

#### [Seri O. J. Joseph]

that these facilities are being misused by officials for gambling and other such purposes. You will find that the workers have no place there. How many houses have been built for them? What facilities have been created for them? How many their limbs? How many been people have lost provided with artificial limbs? How many persons have been provided medical facilities and compensation? What facilities have been provided for the education of their children? Sir, if you go to coal thines you can find that there are schools for "the children. But there are no teachers there. Tf money is to be spent for such schools out of the Welfare Fund that would mean clossal wastage of collected monev from the people to be misused by the management. And the Committee which is supposed to look into all these things meets once in eight years! That Committee is a nominated Committee. Therefore, this kind of a Welfare Fund is in effect nothing more than an eye wash.

Now, Sir, there will be not only Welfare Administrators but there will be Welfare Commissioners also. Thus we can find that money collected by wav of cess will be ultimately misused by the top bureacracy. The workers are certainly not going to bene lt from this scheme. If that object is to be achieved the contract system should be terminated, the workers should be oriven representation, the Welfare Fund Committee should meet regu-larly. Administration charges be met by the Government. Therefore, if these objectives are to be achieved the cess should be raised from 20 paise to at least one rupee per ton. Then only sufficient fund can be collected and any worth while welfare measures can be implemented. I welcome the idea for a Welfare Fund in principle. There is a fund in certain industries"""to

## Welfare Fund (Amdt.) 284 Bill, 1982

which the employees and the employers contribute. But here in this case the management is free from such obligations.

Another thing I would like to say is that there are thousands of lime-shell workers in my State. The Kottayam Cement factory arc working with the lime shells collec ted from the Kaval waters. I want to invite the attention of the Gov ernment this problem also to demand that these workers should be brought under also the purview of this Bill

Therefore, I request the Government to make necessary changes in the provision regarding the Welfare Schemes, and to give the workers their due representation in the Committee Sir with these words I support this Bill.

Thank you.

भी रामानन्द यादव (बिहार): उपसभा-ध्यक्ष जी, मैं इस तिल का सर्मधन करने के लिए खड़ा हुआ हु: ।

यह जो औरिजनल पिल था उसमें कड़ लूपहोल्स थे, कड़ुछ खराबियां थीं। उनको एलग करने के स्थाल से यह अमेंडमेन्ट दिल लाया गया है और यह एक सरहनीय कदम है। इस अमेंडिंग ढिल के लाने से करीब 5 हजार बकर्स को लाभ पहुचेगा जो कि अभी तक पुराने कानून के अन्दर यह लाभ नहीं उठा रहेथे।

श्रीमन्, डोलोमाइट माइन्स में करीब 50 हजार तर्कर्स काम करते हैं। हमारे राज्य में भी सिंहभूमि जिलं में ये माइन्स हैं और इन माइन्स में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हालत बड़ी ही स्राव हैं। एक तो कांट्रेक्टर लेकर पर अधिकांश लोग काम करते हैं, तो जन तक कांट्रेक्ट लेकर सिस्टम अवौँलिशा नहीं होगा तब तक सही रूप में इन माइंस में जो काम करने वाले लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा में तो चाहता था कि सरकार इस तरह या प्राविजन लाती जिसमों यह बाध्यता करती कि जो माइन आगर्स है, तह काट्वेट

#### Welfare Fund (Amdt.) 286 Bill, 1982

लेबर से काम न लेकर परमानेट लंबर रखें। लेकिन यह चीज नहीं की गई है।

अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जीने जभी बताया कि हर साल कितना प्रोडक्शन इसमें होता है, इसका युज कहां कहां पर होता है। इसमें एक बात दोखने की है कि जितनी सुविधायें अन्य माईन्स में है, जैसे आयरन और माइंस है, उनमें काम करने वाले मजुदारों को जो सुविधायों मिलती है वह साविधा इन माइंस मैं काम करने वालों को नहीं मिल पाती । तो इस बिल से कुछ सुविधाएं इन लोगों को मिलेगी। फिर भी जितनी सविधाएं दुसरी माइंस जैसे आय-रन और कौल माइंस के मजद रॉ को मिलती हैं चाहे वह पब्लिक सैक्टर में हों या प्राइ-वेट सैक्टर में, वह सारी स्विक्षाएं इस बिल के पास हों जाने के बाद भी इसमें काम करने वाले 50 हजार मजदूरों को प्राप्त नहीं होंगी। मैं चाहताथाकि सरकार इस बात पर विचार करती और उन माई रामें काम करने वालों के समकक्ष इन माइंस में काम करने वालों को भी फायदा पहुंचाती । आरीजनल बिल में यह प्रोविजन

कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन 4 P.M 4T करताथा। यह जांच करताथा और बही रिएटें देता था। यह प्रोविजन इंस्पेक्टर को पावर अब बैलफयेर कमिशानर जो होगा उसके पास होगी । पहले इंस्पेक्टर को यह पावर थी लेकिन अब इस बिल के द्वारा बैलफयेर कमिशनर की यह पावर दी यई है। यह अच्छी बात है क्योंकि जो इंस्पेक्टर होता था उनको वक्त नहीं होता था। वह इजिली परचे-जेवल हो जाता था माइंस आनर्स के द्वारा । इसके दवारा जो वैलफेयर आफिगर, कमिश्नर होगा शायद वह ईमानदारी बरते । ईमानदारी वरत कर कछ कर सके और इन चीजों पर कंट्रोल कर सके । यह भी बिल में प्रोविजन है कि कमिलनर नोमिनेशन करेगे कमेटियों में जिनका रिप्रजेन्टोशन इन कमीटियों में नहीं है। हमारे अपोजिशन केएक भाई जोसेफ साहब ने ठीक ही कहा है कि जो कमटेी बनाई गई थी वह पांच-सात वर्षों तक बैठी ही नहीं । जो कमेटी बनी थी और बैठी नहीं तो उसका क्या युज है। बिल में यह प्रोविजन होना चाहियें कि कमेटी निधिचत रूप से इतने

दिनों के अंदर बैठे - यानी वर्ष में दो या तीन बार अवस्य बैठे। जो 5-6 वर्ष तक कमेटी न बैठती हो बह क्या जिम्मेदारी निभायेगी, क्या मजदरों की देखभाल करोगी? क्या उनका चिंतन करोगी. क्या सांचेगी उनके बारे में ? इन सब वातों पर मंत्री जी को सोचना चाहिये कि इस कमेटी को कैसे कछ एकटावाइज किया जाए ? क्या कोई लेजिस्लेटिव मैजर्स का इस बिल में प्रोविजन करके इस कमेटो की एक्टीवाइज किया जा सकता है ? फिर भी मैं कहता हूं कि यह जो अमेंडमंट आ रहा है इसमें भी मजदूरों का रिप्रजेन्टे शन अगिवार्य रूप से रखने की आवश्यकता महसूस गहीं की गई है हो सकता है यह कह दिया जाए कि सभी इंटररेस्ट मज-दरों का है। वैलफेयर कमिशनर जो होगा वह इन सभी के इंटरेस्ट के लिये है। फिर वे काग भी तो करती है इस-में । सभी के इंटररेट के नाम पर केवल खास-खास प्ंजीपतियाँ का रिप्रेजेन्टेशन या सरकारी लोगों के नुमाइन्दे इसमें न रखे जाय । इस पर सरकार को विचार करना चाहिए । जो मञ्दूरों के लोग हैं उनमें से भी इस कमेटी में रखा जाए । यह बडी अच्छी बात है कि स्टेटसटीकल डिटेल में भी चीजें बेची जाती है, और जो परचंत्र एजेंटस होते हैं उनका एकाउंट भी वैरी-फाई हो सकोगा । पहले उनके वैरीफाई करने की चैक करने की पावर नहीं भी लेकिन आज इस बिल के पास हां जाने से परचेज एजेन्टन तक स्टाकिस्ट्स या कमिकनर पहुंच सकोंगे और यह देखेंगे कि कितना माल बेचा गया है और कितना और सेल हो सकताहै। यह बडी अच्छी बात है। दसरे यह कहना चाइता हूं कि यह जो पैसासैस से वसल होताहै अधिकांशतः देखा जाता है कि कमेटी को मीटिंग होती है उनके मेम्बरों के आने-जाने या उनके उत्पर ही विशेषतः सारा खर्च हो जाता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस दात पर विचार कर और देखें कि कमेटी छा निर्माण एसा कर कि इस बात की देसभाज कर कि सैस से जो कलेक्शन होती है उसका प्रोपेर यटीलाइजेवन मजदरों पर ही हो । क्योंकि एसा देखा जाता है, अनेक केसों में देखा है कि अफसर लोग, बैलफेयर आफिसर लोग कमेटी के अफसर लोग पैसा खा

#### 287 *Limestone*<sup>\*</sup> and *Dolomite* [JRAJYA SABHA] Mines Labour

# श्ती रामानन्द यादव]

गये और उनके उत्पर केस भला। वे दिल्ली तक दौड़ आये । उनका प्रोसिक्यवन हजा। इस तरह की बातें होती है। इस वात को रोकने के ख्याल से सरकार को निश्चित रूप से कोई प्रावधान करना चाहिए ताकि सैस से पैसे का जो कोलेक्शन होता है वह निश्चित रूप से मजदारों के वैलफोगर पर ही खर्च हो सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंडिकल फसोलिटी जो है वह पर्वाप्त रूप से उनको नहीं मिल रही है सासकर माइंस में काम करने वाले लोगों की । इस माइंस में विशेषतः लांग टी. बी. और कौंसर और गौर-ट्रिकट्रबल सेपीड़ित हो जाते हैं। चंकि इन खानों में धूल बहुत होती है, इसलिए ये लोगटी. बी. और कैंसर से यस्त हो जाते हैं। अभी स्थिति यह है कि 25 परसेन्ट मजदूर इन बीमारियाँ से ग्रस्त हैं। इन बीमारियों से मजदरों की रका करने के लिए माइन ओनर्स की तरफ संजो प्रबन्ध किया जाना चाहिए वह नहीं किया जाता है। यह प्रावधान है कि उनको इनहोलर दिये जाने चाहिए ताकि वे उनको पहन कर काम कर, लोकन इनहोलर, कहीं दिये जाते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती हैं। ओरिजनल बिल में यह प्रावधान है कि इनहोलर दिये जायें, लेकिन माइन ओनर्स की तरफ से इनकी व्यवस्था नहीं की जाती है। मैं चाहता हूं कि मिल औनर्स की तरफ से या तो इन-हलर दिये जाने चाहिए या कोई दसरे इक्वीपमेन्ट दिये जाने चाहिए जिसमें धुल उन लोगों के फोफडों में नहीं पहुंच सके । सरकार भी इस प्रकार का प्रबन्ध करे कि मजदरों को इस प्रकार के इक्वीगसेन्ट दिसे जायें जिससे मजदूर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके।

जहां तक वकौर्स के लिए दसरी फौस-लिटीज का सवाल है, उनके लिए हाउ सिंग का सवाल है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रवन्ध करने का सवाल है, डिर्किंग बाटर का सवाल है, उनके लिए होस्पिटल की व्यवस्था करने का सवाल है, इनका इंतजाम ठीक प्रकार से नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि ये व्यवस्थाएं ठोके प्रकार संहोनी चाहिए। हमारे देश में जो आर्गनिइज्ड सैक्टर हाँ उनमें तो देड यनि-

#### Welfare Fund (Amdt.) 288 Bill 1982

यन्स होती हैं, लेकिन जो अनजागेंनाइ ज्ड सैक्टर ही उनमें कोई युनियन नहीं होती है। ट्रेड यूनियन वहां बनती है जहां पर संख्या ज्यादा होती है। ये लोग भिन्त-भिन्त प्रान्तों में फौले हुए हैं। कछ बिहार में है, कुछ दूसरे प्रान्तों में है। डोला-माइट खानों में इस प्रकार की यनियन्स नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इन मजदूरों को आर्गेनाइज्ड करने के लिए श्रोत्साहन देना चाहिए और इसमें उन्हें मदद करनी चाहिए । सरकार इस-में उनकी किस प्रकार से मदद कर सकती है, यह सरकार खद सांच सकती है।

उपसभाव्यक्ष महादेय, जहां तक एका-उटिंग का सवाल है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो सैस लगाया जाता है इसका ठीक प्रकार से एकाउँटिंग होता है या नहीं क्योंकि देखने में यह आता है कि जिस काम के लिए यह रूपया खर्च किया जाना चाहिए उस काम पर खर्च नहीं किया जाता है। सास तौर पर बिहार राज्य के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि बहां पर यह रूपया किस तरह से खर्च किया जाता है। अभी देखनें में यह जाता है कि सारा पैसा जफसर लोग खा जाने हैं। जो पैसा मजदूरों की भलाई को कामों में खर्च किया जाना चाहिए वह उसमें सर्च नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में कोई ठोस व्यवस्था करे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि डांतामाइट सानों में 50 हजार मजदूर काम करते हैं। इस दिल के पास हो जाने से निश्चित रूप से इन 50 हजार मजदूरों को फायदा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हो।

श्री जिव चन्द्र का : उपसभाष्यक्ष महा-दय, सरकार यह लाइम स्टोन एण्ड डोलो-माइट माइन्स लेबर वैलफोयर फण्ड (एमण्ड-मैन्ट) बिल, 1982 लाई ही, यह बहुत अच्छी बात है। डोलामाइट माइन्स में काम करने वाले मजदूरों का बैलफेंबर करना सरकार का कर्तव्य है। सम्पूर्ण समाज का बैलफेयर करना हमारा आदर्श है। लेकिन मैं मंत्री महादेय से यह जानना चाहता हूं कि यह सैस लगा कर जो फण्ड बनाया जाएगा जो भी एकट है, उनमें जो

# 289 Limestone and Dolomite [3] Mines Labour

भी प्रोविजन है क्या उनका इस्पली में टेशन ठीक से होता है जैसे मिनिमम वैसेज एंक्ट हीं है, वह लागू हुआ, उन पर भी लागू होता है। आप कहिए ईमानदारी के सान कि जो आपका मिनिमम वैसेज एंक्ट है 1948 का क्या 'उसके मताबिक 'उनका' बैसेज मिलती हैं ? उपसभाष्यक्ष महोदय. बहां पर जो 50 हजार वरकर्स जो वहां सब बीडयल कास्ट और शैडयल टाइव्स के सौंग होते हैं। ये दरहर्फ जो वहां काम करते हैं तो आएं बतायों कि अभी जो लीगल प्रोंदिजन है क्या उसका इम्पली मेटेशन होता है, मिनिमम वैसेज के बारे में ? इंडस्ट्र-यल डिस्प्युट एक्ट, इसमें भन्मेले हैं लंकिन जो सो काल्ड बच्छे माने जाते हैं कायेला सदान के मजदूर, उनके मत्तलिक में बाद में पढकर सुनाऊंगा लेकिन उनके जो टिस्प्यट है तो क्या एक्ट के मताबिक उनका निपटारा होता है ? इम्पलाइज प्रोदिडंन्ट फन्ड जो है आपका 1952 का, वह इन पर लागू होता है या नहीं होता है ? मेरी गह जानकारी है कि उन पर भी लागू होता है। लेकिन उसका ठीक से इम्पली-मेन्टे शन होता है क्या ? वर्क मैन कम्पंसेशन एक्ट जो है आपका उन पर भी लागू होता है यह मैं जानता हूं लेकिन क्या उसका इम्पलीमेन्ट भन हाता है ? तो सवाल यह है उपसभाध्यक्ष महादेय कि फन्ड बनायेंगे, बैल-फोयर की बात करगे, दस साल की बाद आपकी नींद ट्टी है, 1972 के एंक्ट को 1982 में एमेंड करने जा रहे हुं। इन दस सालों के अन्दर इनकी हालत गई गुजरी थी लेकिन क्याइन एक्टों का कोई ठीक ढंगु से इम्पलीमें टेशन हुआ ? अगर होता तो हमें संतोष होता लेकिन यह हो नहीं पायां । उनकी हालत मोदे तोर पर सेमीस्लेव जिसका कहते हैं वैसी है वे लोग बॉडोड लेवर, बंधुआ मजदूर के समान है, उनके समान आप उनको समफिए । उनकी हालत में कोई सधार नहीं हजा है वे सोमी स्लोव की तरह हैं। थोड़ा मुफ़ें भी दोचने का मौका मिला है। उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए आपने क्या प्रोविजन किया है ? आपके पास इस बारों में क्या योजना है ? क्या उन्के धर की व्यवस्था के लिए इसमें कोई योजनाहै? जितने मजदूर हँ उनके लिए हॉल, कामने रूम रहने के लिए आप बनाएं,

# Welfare Fund (Amdt.) 290 Bill, 1982

इसका प्रोवीजन ग्राप करिये । डिकिंग वाटर की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था जहां होनी चाहिए वहां इसका प्रबन्ध किया जाना जाहिए । उन इलाकों में पीने के पानी की वडी दिक्कत है । लेकिन इसमें प्रोवीजन नहीं है। उनके नाक में जो घल चली जाती है उसके लिए आपने क्या उपाय किया है ? क्या इस तरह की व्यवस्था की है। कांट्रेक्ट लेबर की पद्धति सभी भी जारी हैं उससे वे मुक्त नहीं हुए हैं जब कि आपका आदर्श है कि कांट्रेक्ट लेबर को हम जारी नहीं रखेंगे । महिलायें जो वहां काम करती हैं उनके लिये ग्रापने क्या व्यवस्था की है ? दवा के बारे मैं क्या प्रावधान है। फर्स्ट एड हो इसके लिये क्या प्राविजन आपका है ? दूर से वे लोग आते हैं काम करने के लिए तो उनके टांस-पोर्टेंशन के लिए, बस की सवारी, केन्वेग्रन्स की क्या व्यवस्था है ? उपसंभाव्यक्ष महोदय, फंड बनायें, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन जो भी प्राविजन होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है । इस विधेयक में इंसपेक्टर को लेबर कमिझ्नर बना दिया. इंद्र महाराज बना दो, विष्णु भगवान बना दो, इसमें क्या फर्म होने वाला है । इंसपेक्टर लेवर कमिश्नर झब कहलायेंगे । उनको एक नया खिताब मिल जायेगा, डेजिगनेशन मिल जायेगा ग्रौर यह लेबर कमिश्नर हो जायेगा और उसकी तनख्वाह बढ जायेगी । लेकिन क्या ग्राप यह भी देखेंगे कि कि वे ईमानदारी से स्पाट पर काम करते हैं या नहीं। लेबर कमिश्नर जो कि ग्रव कमिश्नर हो जायेगा ईमानदारी से इनिसियेटिव लेकर काम करे और सब झगड़े निपट जायें और जो भी प्राविजन हैं उन प्रोविजन के मुताबिक उनके बेलफेयर ग्रीर उनके कल्याण का काम होगा, क्या ग्राप इसको भी देखेंगे। लेकिन यह कमिश्नर वगैरह जो होते हैं करते नहीं हैं क्योंकि इनका ग्राउट-लुक ब्यूरोकेटिक होता है । मैंने कहा है कि इन लोगों का लाईम स्टोन वालों का जीवन बदतर है और नीचे के स्तर का है कोयला

# 291 Limestone\andDolbmtte Mines Labour

## Welfare Fund (Amdt.) 292 Bill, 1982

[श्रो णिव चन्द्र झा]

खानों में जो मजदूर काम करते हैं उनका जीवन स्तर कुछ ग्रच्छा है। वह भी वही है। झगराखांड एरिया कोयले की का मध्य प्रदेश में है वहां पर डिसप्यूट चल रहा है। हर तरह से मजदूर गोषित हो रहे हैं। उनको मजदूरी नहीं मिलती है। उसके मुताबिक एग्रीमेंट भी किया गया ग्रप्रैल, 1982 में लेकिन उस एग्रीमेंट का अभी तक कोई इम्पलोमेंटंशन नहीं हुआ। मिश्र जी खुद गये थे ग्रव वे लेवर मैं हैं या नहीं वे खुद गये थे। वहां के जो मजदूरों के नेता हैं यमुना प्रसाद शास्त्री, भूतपूर्व संसद सदस्य, उन्होंने प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को पत्न भी लिखा 3-4-1982 को जिसको मैं योड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"ग्रादरणीया प्रधान मंत्री जी,

मध्य प्रदेश में झगराखांड एरिया की कोयला खानें वेस्टर्न कोल फील्ड में स्थित हैं । वे खदानें ग्रत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में हैं । इन खदानों में मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उसकी मिसाल समूचे भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी । मैं ग्रापकी सेवा में निम्नलिखित समस्यायें प्रस्तुत कर रहा हूं और ग्रनुरोध करता हूं कि इन समस्याग्रों का निराकरण करने की कपा करें ।"

[उपसभाध्यक्ष (श्रोलाड ल) मोहन निगम]पीठासीन हुए-]

जो समस्थायें मैंने बताई हैं उनको दूर करें । ग्रापका एग्रीमेंट हो गया है । यह जो खदानों मैं काम करने वाले मजदूर हैं लेकिन जो लाइम स्टोन वाले मजदूर हैं इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिये । सवाल यह है कि ग्राप एक्ट तो बना देंगे फंड बनायेंगे लेकिन आपकी जो मशीनरी है इम्प्लीमेंटेशन वह कौन सी है ? मिनिमम बेजेज ऐक्ट, प्रोविडेंट फंड हौ, चाहेकम्पनसेशन की वात हो, जैड मैंने कहा कि

यह लोग जो हैं इनकी मेजोरिटी है. यह बहमत में हैं इन सब का इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिये । आप नारा तो बहत लगाते हैं कि वीकर सेक्शंस के लोगों की भलाई के लिए ग्राप काम करेंगे तथाकथित बीस सुत्री कार्यक्रम में जो है उसमें जो ढोल पीटा जाता है वीकर सेक्शंस का । इससे भी क्या कोई ग्रौर वीकर सेक्शन है ? मगर मेरा कहना है कि. इसके लिए आप एक प्लान बनाइये जिसमें 50 हजार मजदूरों का प्लान हो कि ग्राप उनकी भलाई के लिये काम करेंगे । एक इमरजेंसी या कैश प्रोग्राम बनाएँ जिसमें पानी का, दवा का, सब सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाए । यह सब बातें जो हैं इन के साथ साथ कंट्रेक्ट लेवर का खात्मा करें। यह म्राप सब लाग करें तो कोई मश्किल बात नहीं है। नहीं तो यह वैसे ही रह जायेगा ग्रौर ग्रापके जो लेबर कमिश्नर हैं वे इम्प्लीमेंट तहीं करेंगे । इन सब मजदरों की भलाई के लिए यह बिल साया है मैं यह कहना चाहता हं कि एक खास योजना ग्राप वीकर सेक्शरेंस की भलाई के लिए बनावें, यदि सरकार बार-तव में इनकी भलाई चाहती है। जय प्रकाश नारायण कमेटी थी, सूचेता कुपलानी का रिकमेंडेशन था, जितने यह कोल वैल्ट के टाइबल एरियाज हैं इनमें वेलफेयर का काम हो सकता है, फल इम्लायमेंट ग्रीर रोजी का इन्तजाम हो सकता है, सब सुविधायें दी जा सकती हैं, सब काम हो सवःता है उसका इम्पलीमेंटेशन होना चाहिये । इसीलिए इन सब बातों की सफाई करें कम से कम जो कुछ ग्रभी हैं उसको कह तक इम्पलीमेंट किया गया है । एड-वाइजरी कमेटी जो होगी. फंड बनाएंगे उसकी बैठक ही नहीं होगी। जो प्रधि-कारी वहां पर हैं स्नान दी स्पाट इन में आप जान लाइये । उनमें यह भावना लाइये । यह जो समाज सेवा के लिए वीकर सेक्शन के लिए यहां से ढोल पीटा जाता है बीस सुत्नी कार्यक्रम में

#### 195 Limesttonefan&lDotomite Mines Labour

बनारसी चरमा लगाइये... (व्यवधान)

कह कर गये हैं दो मिनट के लिए।

लिए एडजर्म कर दीजिए।

श्री रामानन्द यादव

[ (RAJYA SABHA ] mi 1982

Welare Fund (Amdt)196

नहीं हैं। आपने हाउनसिंग को लिए छह यह तो ज्वाइन्ट रिस्पांसिविलिटो है ... सौ रजपये की सब्सिडी और नौं सौ रजपये की जो आपने इंट्रेस्ट फ़ी लोन की भी (व्यवधान) जापको दिखाई नहीं पड़ता मंत्री जी यहां हैं। इतना जल्दी भूल जातें हैं, व्यवस्था रखी है, वह टोटल मिला कर पन्द्रह सौ रज्पया होता है। अब मंत्री महादेय जान सकते हैं कि आज तक पन्द्रह सौ. रज्यये उपसभाध्यक्ष (श्री लॉडली मोहन निगम) : में कौनसा मकान बन सकता है। मकान बनेगा तो क्या, जानवर के लिए पन्द्रह सौ रज्पये में घर भी नहीं बन सकता। इसलिए भी शिव चन्द्र भगः तो दो मिनट को सरकार को द्वारा यह रकम हटा कर कम से क छ एसे मकान बनाने चाहिएं जो पर्मानेन्ट

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : काहे को कर दीजिए।

श्री जिव चन्द्र भगः कौन देखेगा, कौन सनेगा. (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम): मंत्री जी नोट ले रहे हैं, आप जो कह रहे है। (व्यवधान) आप लोग बैठ जाइये। चलिए पासंवान जी।

श्री रामानन्द यादव : कहीं व्यवस्था नहीं है, एक मंत्री को रहना चाहिए।

की राम भगत पासवानः में कह रहा था किं अमिकों के बच्चों की शिक्षा का प्रश्न हैं। कम मजदूरी से तो वे बच्चों को शिक्षा दे नहीं सकते हैं ... (व्यवधान) सरकार ने यह प्रावधान किया है कि उनके बच्चों को स्टाइफंड मिलेगा जिसमें 10, 20 और 30 रजपया है तथा अब अमेंडमेंट के अन्सार 75 रजपये भी किया गया है। फिर भी इस कम अमांउन्ट में कोई भी श्रमिक चाहे अपने बच्चों को शिक्षा दोना तो वह 10, 20 गा 75 रुपये में कैसे दे सकता है। कौई मजदूर चाहे टोविनकल शिक्षा दिलाना, मॅडिकलं एजुकोशन या हायर एजु-केशन दिलाना तो वह नहीं दिला सकता । छात्रवरित की जो रकर इसके लिए जिर्धारित की गयी है वह बहुत ही कम है। कम से कम उनका अध्ययन का उचित सर्च मिले ताकि सभी श्रीमक अपने बच्चों को आगे बढा सके ।

हाउत्तसिंग का जहां तक प्रश्न हैं, 12-14 घंटे काम करने के बाद भी उनको आवास की सुविधा नहीं है। वे खुले आकाश में रहते हैं, उनके आवास की कोई व्यवस्था

श्री रामश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश): पास-वान जी, यह सरकार तो आपकी ही है।

तरीकें से श्रमिकों के लिए हों और वह

जसमें अच्छे तरीके से आराम कर सकें।

श्री राम भगत पासवान : हमारी सरकार क्योंकि श्रमिकों के कल्याण की बाते लाई है, अच्छी व्यवस्था उसके द्वारा की गई है, मैं चाहता हूं किं इससे भी अच्छी व्यवस्था हो, ताकि श्रमिकों का अच्छे से अच्छा कल्याण हो। राम्रेक्वर सिंह जी ध्यान से सनिये।

श्री रामदेवर सिंह : यह सौ वर्ष में भी . . . (व्यचधान)

श्री राम भगत पासवानः तो इसके लिए में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हों। इसके साथ-साथ उसके लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था, मजदुर ज्हांभी दां सौँया चार हजार है, उनके लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है। इसलिए स्वच्छ जल की व्यवस्था, रिक्रियेशन की व्यवस्था, लाइ-बोरी की भी व्यवस्था मजदारों के लिए होनी चाहिए। यह छन्ट-पुट लाया गया है। कहीं-कहीं एसे- एसे खान भी है जिनको छोड़ दिया गया है, जैसे सापस्टोन। इसमें भी दस हजार वर्कार्ज काम कर रहे हैं। यह भी लाभान्वित हों, इनकों भी इसमें इन्क-लुड कर लिया जाए, ताकि उनको भी लाभ मिल सके।

इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता 51

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह खान जो है, लाइमस्टोन खान जैसे भीलवाड़ा, चित्तोड़,

बल्कि उन लोगों के लिए ग्राप एक 🖕 कैंश प्रोग्राम बनावें । हम चाहते हैं कि दो साल के अन्दर उनको न मकान की दिक्कत हो, न दवाग्रों की कोई दिक्कत हो । यह कोई मुक्किल नहीं है। ग्रभी जो ग्रापका सेट-ग्रप है जो जो हमारी हालत है न ग्रापको वर्ल्ड बैंक से मांगना पड़ेगा ग्रौर न ग्रौर कहीं से अपने ही रिसीसिज से उनकी भलाई शुरू हो जाएगी. साकार रूप में इनकी लाई हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हं लेकिन चाहंगा कि इन वातों में सिलेक्ट कमेटी में जा कर के श्रीण आर्ऊट कर के पास हो सकता है जो बातें ग्रब छट गई हैं अन पर भी सिलेक्ट कमेटी में जा कर के विचार हो सकता है वह सब बातें ग्रा जायेंगी । यदि कोई नयी होगी तो वात बह भी या जाएगो । दो तीन महीने में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है इसलिए मैं ने सुझाव दिया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भोज दें। मोटे तीर जर में इसका समयन करता है।

श्री राम भगत पासवान (बिहार): उप-सभाध्यक्ष महोदेय, श्रम मंत्री द्वारा चुना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हुं। यह विधेयक श्रमिकों के कल्याण से संबंधित है। वह श्रमिक जिसके उत्पर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया था, उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए Welfare Fund (Amdt.) 294. Bill, 1982

यह विधेयक मंत्री महादेय दवारा लाया गया है। यह निक्चय ही सराहनीय कदम है। इस वेल्फेयर फण्ड की जो स्थापना की गयी है यह श्रमिकों के हर कल्याण के लिये हैं। लेकिन यह फण्ड जो हैं वह वास्तव में श्रीमकों के कल्पाण के लिए खर्च किया जा रहा है कि नहीं? अभी श्रीमकों से संबं-धित बहुत समस्याएँ हैं। उनकी उचित मजदूरी की समस्या है, कांट्रेक्टरों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, आवास की असुविधाएं हैं और बेतच की गारण्टी का अभाव है। तो ये सब जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण हो रहा है कि नहीं, इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। इस फण्ड के द्वारा कल्याण तो होगा, लेकिन यह भी शंका है कि बहुत सा एसा वेल्फेयर फण्ड है जिसका मिसयुज होता है। वास्तव में जिन के लिए फण्ड कायम किया जाता है उनको वास्तविकता में लाभ न पहुंच करको अफसरों को पहुंच जाता है, उसके इस्टे-व्लिशमेन्ट पर खर्च हो जाता है। तो इसलिए सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिनके कल्याण के लिए आपने इस फण्ड की स्थापना की है उसको अधिक से अधिक लाभ हो सके। लेकिन अधिक से अधिक कैसे होगा? श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की जरूरत होती है जिसका प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें 10,20 और 30 रुपये के काइटोरिया आपने रखे है... (व्यवधान)

श्री प्यारेलाल खंडलेवाल (सथ्य प्रदेश): श्रीमान्, कांई श्रम मंत्रालय क मंत्री यहां पर नहीं है और इस पर चर्चाचल रही है।

श्री रामानन्द गावव (बिहार): मंत्री जी बैठे ह<sup>4</sup>... (व्यवधान)

#### 297 Limestone and Dolomite [ Mines Labour

[ 3 NOV. 1982 ]

Welfare Fund (Amdt) oofl

काटा, उत्तटी, और बिहार के पालामू जिले में, यहां पर गजदूरों के आवास के लिए कोईं व्यवस्था नहीं की गई है और शिक्षा के लिए भी अभी तक जो भी सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, वह पर्थाप्त नहीं है। इसलिए इन सब जगहों में जहां पर यह खान है, इन लोगों के लिये अधिक से अधिक आवास की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, पेय जल की सुविधा हो, इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यह बैलफेयर फण्ड की, जो सरकार ने इस विधेयक के द्वारा, स्थापना की गई है, और श्रमिकों का कल्याण चाह रही है, यह ठीक से उनको मिल रहा है या नहीं, इसको लिए बैलफेयर इंसफैक्टर और अफ-सर, खास करके देखें कि उनको इसका लाभ उचित रूप में मिल रहा है कि नहीं। उनको जधिकार देना चाहिए ताकि जो लाभ उनको जधिकार देना चाहिए ताकि जो लाभ उनको पहुंचाया जा रहा है, उस पर निगरानी रखें और उसमें जो त्रुटि हो, उसको सधारने का प्रयत्न करें।

उपसभाध्यक्ष सहादेय, इसमें जो को-आप्शन की व्यवस्था की गई है, तो यह एडवाइजरी कमेटी में-- जो एडवाइजरी कमेटी का निर्माण होना चाहिए मेम्बरीक्षप के आधार पर, उसमें मजदूरों का रोप्रेजेन्टो-टिव होना चाहिए। हम देखते है कि इसमों अफसर है और वह विश्वेष रूप से मजदूरों के हित में कोई कार्य नहीं करते है। इसमें मजदूरों के रोप्रेजेन्टोटिव होने चाहिए और मेम्बरशिप के आधार पर होना चाहिए और इसकी बैठक भी होनी चाहिए।

हम देखते हैं कि इस कमेटी की बैठेक कभी होती ही नहों हैं। तो जब तक कमेटी की बैठेक नहीं होगी, तो मजदूर की जो समस्याएं हैं, उस पर विचार-विमर्थ नहीं होगा और सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, तो कैंसे कल्याण हो सकता है। इसलिए कमेटी की बैठेक भी बराबर होती रहनी चाहिए।

में एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी भी लाइमस्टोन में काम करने बाले बहुत से मजदूर हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और यद्यपि मुआवजे की व्यवस्था की गई है, इसकी क्लीरेफिकेशन नहीं किया गया है कि किस प्रकार की दुर्घटना के लिए कांनेसा मुआवंजा दिया जाता है। जो बिलक ुल आंग हो गये है, उसके लिए सरकार न म्आवजा देने की क्या व्यवस्था की है? कम से कम हमारी मांग है कि जो बिल्क ुल अपंग हो गये है, जो काम करने लायक नहीं है, कम से कम उनके वाल-बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और इसके बाद उसके बच्चों की इंपलायमेंट की व्यवस्था, यह सरकार को करनी चाहिए और जिनकी सिम्गल इंजुरी हुई हो खान में काम करते हुए, उनकी दवा-दारू की पुरी व्यवस्था होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महादेय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हर जगह हर प्रकार की मजदूरी दी जाती है। आप कितनाही वैलफेंगर फण्ड की स्थापना कोजिए, मजदूर के कल्याण के लिए सारी सुविधा कीजिए, लेकिन जो अफसर-शाही है, साथ-साथ कन्ट्रेक्टर सिस्टम ह इस को जब तक आप खत्म नहीं करने तब तक मजद रों का कल्याण नहीं होगा । कन्ट्रेक्टर मजदारों का तीन प्रकार से शोषण करते हैं --- एक तो कम पैसा देकर अधिक पैसे पर सिगनेचर करवाना, जिस समय इच्छा हो छंटनी कर देना, सनमाने तरीके से मजदूरी देना। इस लिए हम सरकार से जाग्रह करोगें कि कन्ट्रेक्टर सिस्टम को खत्म ळ्रदै, इस से मजदूरों का कल्याण होगा।

ड्रायर केट और इनडायर केट 58 हजार लेबरर इस से लाभान्वित होंगे, फिर भी बहुत सी एरेसी खाने हैं जो इस एक्ट को अन्तर्गत नहीं आती, उन को भी लाभ पहुचें। फिर अपआर्गनाइज्ड लेबर हैं, उन के लिए कोई एक्ट नहीं हैं। इस लिए हम सरकार से आग्रह करेगें कि आप एक नेशनल बंज पालिसी कायम कर दे ताकि आठ घंट काम करने वाले किसी भी मजदूर को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए मिनिमम बंज के आधार पर ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके । जो इन मजदूरी

#### 299 Limcataft\* audi Dolomite [|RAJYA SABHA] Mines Labour

[श्री राम भगत पासवान]

के लिए मांग की गयी है वह सभी के लिए हो इस के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं। और इन्हीं सब्दों के साथ आप के प्रति आभार प्रबट करता हुआ। अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्यारलाल खंडलेवालः माननीय उप-सभाष्यक्ष जी, जहां तक इस विषयक का सवाल है, मैं इसकी भावना का समर्थन करता हूं। लेकिन इसी के साथ साथ चुना पत्थर और डोलामाइट की खानों में काम करने वाले श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उन की आरे में आप के माध्यम से मान-मीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी भी एरेसे कई स्थान है जहां पर चना पत्थर और डोलामाइट की खदानों में मजदूर काम करते हैं, लेकिन उन के कल्याण के लिए सब प्रकार की सवि-धाएं उपलब्ध नहीं है, उदाहरण के लिए मध्य प्रक्षेत्र का फाबुआ जिला, जहां डोला-माइट की खदानों में काम अभी-अभी शुरू हुआ है और मुफ्ते अच्छी तरह मालूम है कि वहां पर मजदूरी के लिए जो साधारण स्विधा उपलब्ध होनी चाहिए वह भी नहीं है, न मकान का सवाल है, न पीने के पानी का सवाल है, न प्रकाश का सवाल है। सैकडों मजदूर खुले आसमान केनीचे रहते हैं। उन की महिलाएं दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर से पानी भर कर लाती हैं। सफाई-स्वच्छता का तो सवाल ही नहीं है। न दवाई का इन्तजाम है, न अस्पताल है। मिनिमम बेज भी प्राप्त होती है या नहीं यह भी कोई देखने वाला नहीं है। आप यह बिल लाये हैं, संशोधन लाये, बहुत अच्छी बात है, लोकिन इस विधेयक के अन्तर्गत यह देखा जाना चाहिए कि जहां जहां पर डोलामाइट की खदानें है, चूना पत्थर की खदानें हैं और ठेके के आधार पर जो मजदार काम करते हैं ठेकेदारों के यहां क्या उनको यह सुविधाएं उपलब्ध होती है या नहीं।

दूसरी बात। जहां-जहां पूर्व में यह कानून काम कर रहा है, पहले से जहां डोलामाइट की खदानें है, चुना पत्थर की खदानें हैं वहां भी मजदारों को लिए कछ

#### Welfare Fund (Amdt.) 300 Bill, 1982

ही मकान हूँ, सब अभिकों के लिए अभी भी मकान नहीं है। भीने का पानी अपर्याप्त है, अश्रद्भ है। अभी कोयला खान की चर्चा हुई थी, भा साहब ने की थी। कोयला खदान इतना बड़ा उद्योग होने के बावजूद, लाखों की संख्या में जहां मजदूर काम करते हैं, वहां भी आज श्रद्भ पानी मिलना सम्भव नहीं है। यही हाल चूना एत्थर और डोलामाइट की खदानों के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का है। वहां पानी की पूरी सुविधा नहीं है। श्रद्भ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस लिए पानी का कोई इंतजाम वहां है या नहीं इस को देखा जाना चाहिए।

आप ने श्रीमकों के कल्याण के लिए यह सेस लगाया है। वह कम है। लौकन देखा जाना चाहिए कि जो पैसा इक्टठा हुआ है वह क्या बैंक में ही जमा है या सरकार ने उस को अपने पास जमा कर रखा है या श्रमिकों के कल्याण पर भी वह खर्च हो रहा है। एसे कई उदाहरण सामने आयें है कि जहां पैसा इक्ट्ठा किया गया है। श्रमिकों के कलयाण के नाम पर अभी भी वह पैसा जमा किया हुआ है और उन के कल्याण के लिए खर्च पहाँ हो रहा है। उन के बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, उन के स्कूलों का कोई इंतजाम नहीं है, उन के रहने के लिए मकान नहीं है, उन के लिए प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, उन की महिलाओं के लिए मैटरपिटी होम का कोई इंतजाम नहीं, उन को लिए दवां-इयों की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आप के अस्पताल है लेकिन उन में आधिधयों नहीं है, दवाइयां नहीं है। वे लोग क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं। चुना पत्थर और डोलामाइट की खदानों में काम करने वाले श्रमिक सब से पहले क्षय रोग से पीडित होते हैं। उन को सब से पहले टी. बी. का रोग होता है। लेकिन उन को टी. बी. की दवाई समय पर उपलब्ध नहीं होती। उन को डाक्टर समय पर उपलब्ध नहों होता। पिछली बार मैंने कहा था कि सरग्जा की खदानों के लिए डाक्टर चाहिए तों बताया गया था कि वहां के लिए स्पेश-लिस्ट डाक्टर की निग्रजित की गयी है। लेकिन स्पेशलिस्ट डाक्टर वी नियुक्ति

# 301 *Limestone and Dolomite* Mines Labour

[ 3 NOV. 1982 ]

# होने के बाद भी आज तक वहां कोई डाक्टर पहुंचा नहीं । इस तरह की अव्यवस्था कई बार कई जगहों पर देखने को मिलती है इस लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के बारे में वे विचार कर और वह कोई नीति बना कर, नियम दना कर उन का कड़ाई से पालन करायें ।

फिर इसी प्रकार इन खदानों में काम करने वाले अधिकांश लोग या तो आदिवासी हैं या गरीब तबके के लोग है। वह दूर दूर से आते हैं। या तो वह अपनी कॉपड़ी बना कर वहां रह जाते हैं और सारी गंदगी जिस को स्लम कहते हैं वहीं पैदा होनी गुरू हो जाती है, वहीं डवलप होने लगती है। अगर स्लम एरिया जाप के वहां डवलप महीं करना है तो या तो आप उनको पक्के मकान बना कर दीजिए या फिर दह बहां से दूर रहै और उन को बंहां तक लाने का आप कोई इंतजाम करी। अभी तक तो मोरी जानकारी में एसा नहीं है कि इन श्रमिकों के बच्चों को स्कूल तक ले जाने की भी कहीं कोई व्यवरथा की गयी हो या मजदारों को वहां से खदानों तक आने के लिए कोई किसी प्रकार का इंतजाम किया गया हो। इस की कोई व्यवस्था नहीं है और एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का कि जहां जहां पर इन खदानों का क्षेत्र है, वे चाही किसी भी प्रकार की खदानें हों वहां पर असमाजिक तत्वों का जमहट होने लगता है और शराव की दुकानें इस के लिए सब से ज्यादा जिस्मदेवार है। मैं जानजा चाहता हूं कि क्या मंत्री जी सरकार द्वारा कोई एंसी नीति बनाने की कोशिश करगे कि एसे क्षेत्रों में शरीब की दुकानें या तो बिल्कूल ही न खोली जाएं और अगर उन को खोलना आप को जरूरी मालम एडता हो तो उस की कोई सीमा निर्धारित की जाय क्योंकि एक तो श्रमिकों को वैसे ही पैसा कम मिलता है और दूसरे शराब की दुकान पास होने से वे उसे पी कर पैसा वर्बाद करते हैं और उस से उसका सारा परिवार उजड़ जाता है। तो मेरा आग्रह ह कि इस संबंध में देखा जाना चाहिए कि एसी खदानों के क्षेत्रों में इस संबंध में

# Welfare Fund (Amdt.)302 Bill, 1982

कोई सीमा लगायी जाय और इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए।

फिर आप ने कल्याण आयुक्त नियुक्त किया है। वैलफेशर इन्सपेक्टर की जगह वैलफोयर कमिश्नर आप नियुक्त करने जा रहे है, या दोनों ही नियुक्त करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि बेलफेयर जो होगा वह मजदूर का होगा या उस अफसर का होगा। अभी तक तो स्थिति यह है कि वेलफेयर मजदूर का कम और अफसर का ज्यादा होता है। मैं आप के माध्यम से मंत्री महादेव से कहना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार विचार करे कि सही मायनों में कल्याण अभिकों का होना चाहिए, मजदर्रों का होना चाहिए। अगर श्रमिकों का कल्याण नहीं होना है तो आप यह कल्याण निधि क्यनें लेने जा रहे हैं। यह तो ढोंग होगा। अफसं, रॉ की सुखस्विधा के लिए जो पैसा खर्च होता है वह तो श्वसिकों का कल्याण महीं है, मजदरों का कल्याण नहीं है। और अगर किसी ने एसा किया है तो उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए और अभी तक जिन जिन लोगों ने एंसा किया है मैं जाननाः चाहता हूं कि क्या उन पर कार्य-बाही की जायेगी ? कई बार यह शिकायत हुई है कि अमिक कल्याण निधि का पैसा अफसरों की शान शोक्कत पर खर्च कर दिया गया, उन के रहन सहन पर सई कर दिया गया, उन के मकान बनाने के लिए या मकान में साधन जटाने को लिए खर्च किया गया और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह कोयला खदानों में देखा जा सकता है। इस लिए में कहमा चाहता ह कि इस संबंध में आप निश्चित रूप से कोई कार्यवाही के लिए कड़ाई से निद<sup>ु</sup>श द और श्रीमकों के लिए इकट्ठा किया गया कल्याण निधि का पैसा उन पर ही उनके कल्याण के लिए ही खर्च होना चाहिए और वह किसी भी हालत में इकटठा होने के बाद संग्रह कर के न रखा जाए और वह उन, के कल्याण के लिये ही खर्च होता जाय इस की योजना आप बनायें। ठकेदारी पर काम करने वाले मजदरों की भी समस्या है । उसके सम्बन्ध में भी आपको ध्यान देना होगा कि उनका शायण न हो ।

# 303 Linestone and Dolomite Mines Labour

श्री प्यारंताल खण्डलवाल

आ सिरी बात मैं जो कहना चाहता हु वह यह है कि आपने जो सलाहकार समिति बनाई है, बहुत से सदस्यों ने उनका स्वा-गत किया है। लेकिन में नहीं जानता कि सलाहकार समिति में मजदरों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह क्यों नहीं रखा गया है। क्या वह नजर अभ्याज हो गया है या जान-बूक्तकर मजदूर प्रतिनिधि को सलाहकार समिति में न रखने का सरकार ने फैंसला कियाहै । यह उपका क्यां हर्ड, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मज-दरों के प्रतिनिधित्व को भी सीम्रति में रखना जरूरी है क्योंकि मजदूरों की समस्या और कोई नहीं बता सकता जितना मजदूर वतायेगा । इसलिए उस सलाहकार समिति में मजदूरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह मेरी गांग है।

इन सारे सुकावों के साथ सरकार इनको अपने विधेयक में सम्मिलित करे, एसा निवदेन कर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद ।

श्री रामनर के कु कवाहा (उत्तर प्रदंश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को वधाई देना चाहता हूं कि श्रीमकों के निचले तबके या अगर श्रमिकों में बढ़ कह तीजिए, उनकी तरफ इनका व्यान पहली बार गया है। यही वह श्रमिक है जिनकी तरफ अधिक से अधिक ध्यान दने की आवश्यकता है, जिनका अधिक से अधिक कल्याण करने की जरूरत है। उनको श्रधिक से अधिक सुविधाएं दने की जरूरत है।

अभी हमारे सित ने कहा कि यह अफ-सर कल्याण न होकर रह जाए ! मैं इसरों शत प्रतिवत सहमत हूं क्योंकि हमारे यहां सारा काम उल्टा होता है । माननीय को. एल. राव थे सिंचाई मंत्री । वह रूस गये थे । लटिकर उन्होंने एक वयान दिया कि रूस मैं जब बिजली का प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहले प्लान्ट लगाया जाता है ! बिफसरों के रहने का जब इंतजाम किया जाता है तो लकड़ी के खम्ब लगाकर विजली लगाई जाती है। और जब आमदनी होने जगती है तो लोहे के सम्बेसयते हैं। और बंगला बनता है। हमारों सरकार ठीक उल्टा करती है। सबसे पहले अफसरों को लिए बिल्डिंग बनती है, लोहें के खम्बे लगते हैं, अन्त में लोहें या लकड़ी के खम्बे खड़े करके मशीने लगाई जाती है। तों मैं आपसे कहना चाहता हुं कि लगा वही योजना इसमें भी है कि जफ गरों की स्विधायें पहले की जाएं और उनके साज-सज्जा का सारा इन्तजाम पहले किया जाए, उसके साधन जुटाएं जाएं, बाकी जो बचा उस रूखे सुखे को इन मजदूरों को दिया जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो आदते बिगड़ी हुई है, इनमें भी उल्टा मत कीजिए।

द गरी बात, मैं आपसे यह कहना चाहता हुं कि आपने बहुत से नाम जिना दिए हैं, लेकिन इसमें कोई सिलिका सैंड का भी नाम है ? महादय, सन् 1972 में यह एकट बना और उस समय या आज भी इस . शासन का साफ्ट कार्नर है इलाहाबाद के रिलिका रौड के खान के माखिक की तरफ। वह गिलिका सेंड की खान सरकार की होनी चाहिए थी, पता नहीं वह किसके हाथ में है। लॅकिन जब यह एकेट बना था तो उस हान का मालिक व्यक्तिगत राजा साहब थे. उसका प्रभाव केन्द्र सरकार में है, और उत्तर प्रदोश की सरकार तो उसकी है ही, तो सिलिका सैंड को न तो सरकार ने हाथ में लिया और न इस सिलिका सेंड का नाम इसमें है। पता नहीं मंत्री जी को याद है या नहीं, या कोई टोकिनकल नाम है इसमें। कपया इसका स्पष्टीकरण कर क्यों कि जब माननीय मंत्री जी यह बिल लाए हैं तो उनका जिला भी हैं और संयोगवंश विषय भी उनका है। मैं जानना चाहता हूं कि वह सिलिका सैंड की खान किसके हाथ में है। अगर किसी के भी हाथ में है तो उसके मजद रों को इसमें शामिल क्यों जहीं किया गया है। अगर उन मजदूरों को इसमें सामिल नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं या वन्याय कर रहे हैं और या तो आप उस जीव के डर से या सरकार के डर से 🛲

### 305 Linestone and Dolomite Mines Labour

बिल का संगर्थन करता हूं।

किसी की मोहेब्बत से इसको छोड़ रहे हैं। मान्यवर, मैं चाहता हुं कि आपका जो बालू, डोलोमाइट और दूसूरों किस्म की साने हैं उसमें सिलिका सेंड को भी जोड़ दीजिए। उसको अगर अभी तक नहीं जोड़ा है, उसको हाथ में ले लीजिए, क्यों उसको छोड़ रसा हैं। और अभिकों के कल्याण के लिए जो करना चाहें करों, अधिक से

अधिक करों। इन चंद शब्दों के साथ में इन

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra) : The Bill which has been brought in the House today, Mr. Vice-Chairman, Sir, does not really go a long way to solve the problem of labour welfare. Sir, even after so many years of, the implementation of labour policy. Government has not framed any guidelines or any welfrre policy with regard to the welfare of workers. Sir, it is contemplated that the welfare will include medical care, housing, education, water supply and recreation. As regards recreation, it is said that in our country sports has got the lowest priority in planning and four paise per head is spent in our country on promotion of sports. That is the finding of all India Council of Sports. What is the Government policy in this <sup>r</sup> matter? Are they having any planning for the welfare of all workers or just to collect some cess and give them some benefits of housing facilities? And what is the housing facility? Workers are demanding that they should be able to own houses. Has the Welfare Department taken any steps? Industrial workers all over the country want that Government should build, and workers own houses and not live in rented premises after they retire. If they have a plan for the workers to own houses, money will come back and we can build more houses, Sir, in that context we have miserably failed. In this, conection, I would like to know from the Minister what is the number

## [ 3 NOV. 1982 ] Welfare Fund (Amdt.) 306. Bill, 1982

have been given of workers. Figures that 56000 workers were already covered by limestone and dolomite and about 5000 more workers will come up. Thus the figure will be about 60,000 to 61,000 workers. They do not have a programme for housing. Secondly, what are facilities educational the contem plated for them? Is it for their provid educational scholarships or ing schools ? We are planning that villages must have drinking water facilities and there is a definite plan of achievement per year. But so far as the mining workers are concern the Welfare Department has ed no planning at al) for the workers, so far as the drinking water facilities are concerned. Unless you have got a policy and decide about a programme, you will not be able to raise resources. Unless you know what expenditure is required in of the Plan in the next five years which every worker should own a house and having drinking water facilities, you cannot decide what the cess. Even though should be the provision is there for one rupee charge you can have on а metric tonne till now 20 up paise you are charging. Why was it not raised to Re. 1 earlier ? How will you rai^e the resources? Just as in the case of Provident Fund where the employers are required io give their contribution, why do they not give equal contribution to the welfare fur d of the workers ? But cess is such that it has a low priority. With 20 paise, Mr. Minister, do you expect that you can have labour welfare ? And what are the ruling prices of the minerals ? Ir 1071, the price was Rs. 114, and in 1981 it was Rs. 1216-the prices ha\"" gone up by ten times. So far as the welfare amount is coicerned, you have not made it even five times. One rupee is a very small amount. Even the subscription for trade unions is Rs. 2.

# 307

#### [Shri Shridhar Wasudeo Dhabe]

Mines Labour

Secondly, Sir, I could not understand why it is necessary to come before the House everytime. Now, it is for inclusion in the limestone certain categories. My friend bas just now mentioned that if silica-sand and other minerals are not covered here, they would not get the benefit. Under the Minimum Wages Act, there is a provision that by notification the Government can extend the Act in the Schedule of employment. Under the Welfare Act also, there should be a provision ihat by notification you will be able to extend the provisions of the Act. And it is not necessary to come before the House every time for getting an amendment to the definition of limestone. | Otherwise, such anomalies remain and it is not possible to cover every type of minerals under the Act. And then every time the delay takes place. Therefore, my suggestion to the hon. Minister is to bring forward a comprehensive Bill and to take powrs so that by notification itself they can extend the Act.

Sir, two principles which have been involved in this Bill are dangerous. When the inspectors job is to inspect, why does it become necessary for the Labour Welfare Commission to go for inspections? Is it because you have got inadequate staff? Then you appoint more inspectors. It is not the job of the highes! authority, the Labour Welfare Commissioner to go for inspection. Then he will make only TA and DA and the inspectors will not be allowed to go for inspections. It is absolutely againsc the principle which we evolved for the labour welfare and administration of labour welfre fund. It is a retrogressive provision. Then, Sir, something strange has been added in clause 5, Section 7A: "An Advisory Committee or the Central Advisory Com-

#### Welfare Fund (Amdt.) 308 Bill, 1982

mittee may, at any time and for such period as it thinks fit, co-opt any person or persons to the Com-mittee." No qualifications are prescribed. I caa understand the representation of the employers and the employees. The complaint is not that the labour is not represented. The complaint is that the labour reperesentatives should be properly elected by the workers. Their real representatives should be there on the Advisory Board. Here, any person, any political person or persons can be appointed and no qualifications are necessary. There is no question of any assurance by the Mmister. His assurance will rot be kept up by his successors. Therefore, Clause 5, Section 7A is a radical departure from the tripartite nature of the welfare advisory committees that are functioning in our country. And this provision certainly cannot be accepted. You say 'any person or persons'. How many ? If there are representatives of six from the employers and six from the ememployees, you add three or four more and make it a majority. The very scheme is that it should be a

balanced committee. I do not understand of the purpose this clause. And the only rider thev have said is that these persons shall not be entitled to vote. When the Government nominees are there, they are bound to influence the deci sion-making power of the committee and the very concept of labour and employees coming together in the matter of management has been given a good-bye. Sir, I would like to know from the hon. Minister whether he has got any idea of the extent of the problem. My friends have stated that there are no pro-

>er housing facilities, medical facilities and !other benefits. It is not only under the Cer tial Government but in my State it is run by the Maharashtra State Mining Corporation. In the Vidharbha area there are large areas where there are limestone and dolomite mines where the workers have not even

# 309 Limestone and Dolomite Mines Labour

got the safety measures. The DGMS is not taking steps in this direction and the Mining Officer at the Bhandara mines is not a qualified first class engineer which is required under the Mines Act. But because there "s a State Mining Corporation and the DGMS being under the Central Act, they are not taking steps for the safety -of workers and so many acciderts ^rc taking place not only in Nagpur but in other places and Sholapur. If the employer is a State sector organisation what steps is the Government taking for the enforcement of labour welfare measures by the State Mining Corporations. I know that today's position is that in every State they have got the State Mining Corporations, apart from the Central Mining Corporation. Therefore, how are they going to cover the State Mining Corportions under this Act and how are the welfare measures going to be given effect to ?

Last, but not the least, it is very unfortunate that the Government is adding and . multiplying the expenditure. There are separate welfare commissioners' boards for mica, for manganese, for coal, etc. The officers are multiplying. Why is it not possible to have one single agency for all these ? Such a small context amount is there. If you have got a single welfare commissioners' agency to administer all the mines, not only will the resources be pooled together but it will also reduce the number of officers who are employed on all these different agencies. I would like to know from the Minister what is the percentage of expenditure incurred on the administrative side on these welfare boards and what is the total income from the welfare cess. Lastly, Sir, if you really think that you are working for the welfare of the workers and welfare cess is collected for them, why should not the Government spend on the officers? It should be expenditure charged on the Labour department.

[ 3 NOV. 1982 ]

Why should the money be spent out of the welfare cess for the appointment of inspectors and commissiorers. Therefode, if the Government a ccepts the responsibility of the welfare of labour they should themselves bear the expenditure of the welfare commissioner and inspectors so thr.t the welfare cess is fully utilised for the objectives for which it is being collected. Then, Sir, twenty paise is a rediculous charge. You must at least have one rupee provided by the Act itself. The maximum is at least up to one rupee. You can raise this amount so that the welf?re fund is properly available for the welfare activities of the workers. Under these circumstances it is not possible for me to support the Bill fully.

श्री धर्मबीरः माननीय उपसभाष्यक्ष जी. हमारे कई माननीय सदस्यों ने माइंस लेबर के कल्याण के संबंध में लाये हुए विधेयक पर बड़े विस्तार से चर्चायें की हैं और वडे महत्वपर्ण समाव दिये हैं। उन सभावों को हमने बहत गम्भीरता से लिया है। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है, जैसाइस विधे-यक में स्पष्ट है कि लाइ म स्टोन और डोलोमाइट के अन्दर च कि कछ एसे कल-कोरियस डिपोजिटस थे जो उसके अन्दर मजदार काम करते थे, उनकां जो श्रीमक कल्याण निधि से सहायता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाती थी और जिस कारण कछ लोग कोर्ट में चले गये थे। इसलिए इस विधेयक के जरिये उसकी परिधि की सीमा को बढाया गया है ताकि उसमें जो लगभग 5 हजार मजदार इससे वंचित रह जाते थे वे भी इससे लाभान्वित हो सके । 5 P.M.

जहां तक इन श्रीमकों के कल्पाण के विषय में आपने जो सुफाव दिये हैं लगभग सभी सम्मानित सदस्यों के स्फाव एक से ही ह<sup>5</sup>। माननीय जोसेफ साहब ने, माननीय श्री शिव चन्द्र का जी ने, श्री संडलवाल जी ने, श्री राम नरेश क्शवाहा जी ने, राम लखन गुप्ता जी ने और धाबे जी ने, इधर से हमारे

#### 311 Limestone, and, Dolomite [ |RAJYA SABHA ] Mines Labour

# श्री धर्मवीर

थी रामानन्द गादव जी नं और थी राम भगत पासवान जी नं जो आसंकाएं व्यक्त की हे इग अभिकों के कल्याण को हारे में, जो अभिक निषि है उसका पूरा उपयोग नहीं होता। इस वारे में उन से निवेदन करना चाहता हू कि इस फोड के द्वारा सिर्फ अभिकों के कल्याण की गोजनाएं ही कापू को बातो हूं। थनिकों के कल्याण की, उपको लेफटी की हारी जिम्मदेवरी माईन आगर्स की होती हैं।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE : What is the admii.islra-tive expenditure, percentage, which is incurred from out of this Fund ?

श्री धर्मवीरः लेकिन सरकार ने भी अपना एक दायित्व समभा कि श्रमिकों के कल्याण के दार में कोई उल्मी तरफ से भी कछ किया आए क्योंकि हो सकता है उसमें कछ कमियां हों। इसी उददेश्य की पीर्त के लिए लेंबर देलफोगर संस की स्थापना को गई है। इसके अन्तर्गत जो उनको सुविधाएं दी जाती है कह मैं आपको बता दां। जैसे कि माननीय सदस्यों ने बताया है उनको जावास की सुविधा, उनको किक्षा की सुविधा, उनको स्वास्थय की सविधा, उनका पानी की सविधा, मनो-रंजन की सुविधाएं, उनको उपलब्ध हो सकेंगी इसके बारे में यह कल्याण निधि का जों धन है इसका उपयोग किया जाता हैं। सारे देश के इन श्रीमकों के कल्याण को लिए पांच रोजन बनाए गये हैं जिसमें इ लाहाबाद, बंगलौर, भीलवाड़ा (राजस्थान), भूवनंबेवर (उड़ीसा) और जवल्पूर (मध्य प्रदेश) हैं। बहां-बहां अधिक तर यह खानें पार्ड जाती है बहां-बहां पर इन सुविधाओं के लिए यह हमारे बेलफोबर कमिपनर और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। बहां पर सारी योजनाएं लागु होती हैं। अहो तक उनका स्वास्थ्य का प्रश्न है, मान्यवर स्वास्थय सम्बन्धी दोखरांस का जहां तक प्रदन हैं इस प्रकार कई डिसपेंसरियां पर देश में है। आएको उत्तर प्रदेश में दहेरादन में मोबाइल डिसपेन्सरी है। इस प्रकार से मिरजापुर में है, उधर रोह-तास में है, भवनाथपुर डिस्ट्रिक्ट पलमाऊ में है, जिसके बारे में हमारे राम अगत

## Welfare Fund (Amdt.) 312 BiU; 1982

पासवान जो ने विजिट किया । इसी प्रकार भीलवाड़ा, राजस्थान में डांगरफर डिस्ट्रिक्ट जूना गढ़ इसके इलावा राजस्थान में काटेश और संतलसंडों, इत्यादि में भी यह स्वास्थ्य सविधाएं हैं। साथ ही साथ नागपुर में भी हैं। मेरे पास डिटले बहुत ज्यादा है जिसमें हर जगह स्वास्थ्य की दखरेख के लिए व्यवस्था है....

श्रीमती सरोज खापडर्ँ (महाराष्ट्र)ः नाग-पुर म<sup>≿</sup> ?

# (व्यवधान)

श्री धर्मवीरः डिस्ट्रिक नागपुर में नहीं हैं। इसी प्रकार बहां तक उनका प्रश्न है, नानपुर की जाप रहने बाली है, स्वंय जाबती होंगी कि वहां पर है कि नहीं । जहां तक उनको शिक्षाकी सुविधाका प्रश्न है हम उनको प्रोत्साहन को लिए प्रतिमास 10 रूण्ये में ले कर 75 रूपये तक की छात्र-वृषि का भवन्य करने हैं, ताकि अभिकों केंबच्चे जो हो वे उच्च से उच्च किक्षा प्राप्त कर सर्को । इसके इलावा जहां तक पानी की सदिभा का प्रश्न है उसके लिए हमारी इस वक्त जो 13 मौजदा योजनाए है उनके इलावा भी हम काम कर रहे है। इनमें जवलपुर सें 3, इलाहाबाद में एक, वंगलीर में 3, उड़ीसा में 6 और इस प्रकार पीने कें पानी की सविधाएं दोने के लिए ट्यबवेल्ज का निर्माण हो रहा है। हम प्रयत्नशील हं कि उनकों पानी की कठिनाई न हों सके ।

बहां तक रहने की, आवास की स्विधा है, माननीय सदस्यों में यह हो सकता है कि इस बात का दूख हो कि हम सबको तो मकान की स्विधा नहीं दे पाये हैं। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक उनको स्विधा मिल सकें और इसके लिए हमने बिल्ट यूअर ओन होम के अंत-र्यत उनको सबसिडी देते हैं 15 सो रूपये की, अपर उनके पास अपना धन या जमीन हो तो वह उस सबसिडी को मिला करके अपना मकान बना सकते हैं... (अयवधान)

श्री प्यारेलाल खंडलेवालः 15 सौरप्पये तो बहुत कम होते हैं आज की स्थिति में । वास्तव में 15 सौ में तो बंगलों में पदे भी नहीं आते हैं। इस 15 सौ को बौर बढ़ाया जाना चाहिए ।

# 313 Limestone and Dolomite Mines Labour

श्वी धर्मघीरः मैंने पहले ही निवेदन किया था कि जो सूविधाएं हैं वह अपर्याप्त हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं और इसी लिए मान्यवर, मैंने कहा कि यह जो कमेटी बनायी गयी हैं जिसके बारे में माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया कि सात आठ साल वाद अब कमटी बुलायी गयी हैं। पिछले जनवरी 82 में इसकी कमेटी बुलाई गयी थी और आपको जानकर प्रसल्तता होगी कि अगले 8 नवम्बर को मैंने इसकी मीटिंग बुलाई हैं और मैं चाहूंगा कि जितने माननीय सदस्यों ने अपनी भाव-नाएं यहां व्यक्त की हैं, स्फाव दिये हैं उनको देखते हुए, उस कमटी के माध्यम सं अधिक तोजी के साथ श्रीमकों की कल्याण-कारी योजनाओं को लागू किया जा सके।

**औ औधर वासूद वे धावे**ः किंतने मकान बने हैं यह तो दता दीजिए।

भी धर्मवीरः इस वक्त मेरे पास इसका डोटले नहीं है कि कितने सकान बने हैं। लेकिन जो नीति है उस नीति के अन्सार हमने आपको बता दिया कि हम 75 प्रति-श्वल सहायता एक तरह से देते हैं, दूसरा सब्सिडी के रूप में 15 सौ रुपये देते हैं। यह इस प्रकार प्रोत्साहन स्वरूप उनको दे रहे हैं। कितने मकानं, बने हं इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त लहीं है मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी करा दूंगा।

साथ ही साथ कुछ माननीय सदस्यों ने मनोरंजन के बारे में कहा । मनोरंजन के बारे में हम जानते हैं कि जीवन का यह अनिवार्य बंग है । इसमें भी श्रमिकों के मवोरंजन के लिए मोवाइल सिनेमा यूनिट की व्यवस्था की गयी है । श्रीमन्, जानकारी के लिए मैं बता दूंगा कि जवलपूर में एक है, भवनेश्वर में एक, इलाहाबाद रीजन में चार वंगलौर में तीन है । इसी प्रकार पूरी और उड़ीसा आदि में हालीडे होम्स रनाये गये हैं जहां कि श्रमिक जाकर ठहर सकते हैं ... (व्यवधान)

श्री श्रीधर बासुदेव धावरेः महाराष्ट्र में एक भी नहीं है।

श्री धर्मवीरः इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन एरेसा नहीं है कि न हो

... (व्यवधान) द सरी तरफ माननीय सदस्य शी शिव चन्द्र भा और धावें जी ने इस पर बड़ा जोर दिया है कि 25 पैसा रोट बहुत कम है। उनकी जो शंका है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक निश्नि-चत नीति के आधार पर इन पर सेस लाग किया जाता है। लेकिन इस रटे कौ रिवाइज करने के लिए हम अलग से आपके पास आयोंगे कि इसके रोट को इतना रिया-इज किया जाय । क्योंकि एक जगह लगने के बाद तमाम और जो खानों में सेस लगाया जाता है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो सब के बारे में आज बढ़ती हुई मंहगाई को देसते हुए इसके रोट को बढाने के विषय पर एक कमेटी दवारा विचार करने के बाद शासन कोई प्रस्ताव आपके सामने लायेगा. अगर वह हमारी नीति के अन्दर आ जाता है ताकि और जितनी यनिटस है और जितनी माइंस हैं उन पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड सके।

[ 3 NOV. 1982 ]

श्री शिवं चन्द्र भग जीने तमाम जो मज-दरों के अमिकों के कल्याण के नियम है कानून हैं उन 🕻र शंका की कि वे लागु होते हैं कि नहीं हैं तो श्रीमना, मैं आपके माध-यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन नियमों का इम्पलीमेन्टेशन करने का बहत बड़ा दायित्व राज्य सरकारों पर होता है। राज्य सरकारों के माध्यम से "हम उनको लागु कर पाते हैं। जहां तक एक माननीय सदस्य ने बात कही थी कि प्राविङटे फण्ड का नियम उन पर लागु है कि नहीं तो में उनसे निवेदन करना चाहांगा कि प्रावि-डरे फण्ड का प्रावधान इन श्रेणियों के लिए है। यह उन पर अप्लीकेंबल होता है। अब वह इम्पलीमेन्ट हो रहा है कि नहीं इसकें लिए जैसा मैंने कहा कि वह एक दुसरा विषय है जिस पर फिर से विचार करेगी । लेकिन यह नियम उन पर भी लागू होता है। ... (व्यवधान) वह सारा एकट है। जहां तक इसके एकाउंटस के आडिट का प्रश्न है, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा और मैं कहना चाहता हूँ कि यह बैंक डाफट के रूप में वैलफोयर कमिश्तर, वैल-फैयर डिपार्टमेंट को तरन्त ट्रांसफर हो जाता है और इसके बाद उसके एक-एक पैसे का आडिए जो फाइनेंशल डिसिपलिन के अन्दर जो चीजें आती हैं, उसके जन्दर

#### Weliatp Fund (Amdt.) 316 Bill, 1982

होता है, इतना में आपको विश्वास दिलाता हो ।

अब टी. बी. अस्पताल के लिए मेरे पास फिगर्ज नहीं, पर हमारी 839 डिसपोन्स-रीज हैं और जिस मजदूर को टी. बी. का रोग हो जाता है, उनके लिए टी. बी. अस्पताल में बेड्स रिजर्ब कर रखे हैं और जितने भी मजदूर जिनको तपोंदिक की बीमारी होती है, उनकी चिकित्सा के लिए हम व्यवस्था करा दते हैं।

एक माननीय सबस्यः पूरी सुविधा उनके लिए ...

श्री धर्मवीरः हां, पूरी सुविधा उनको दी जाती है।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE : I wanted to know about cooption;.

श्री धर्मवीरः जहां तक को आप्शन सब कमेटी का सम्बन्ध है, श्रीमन्, इसमें दो प्रकार की कमेटियां होती है, एक वो कोन्द्र की सेंट्ल एडवाइजरों कमेटी अरि दूसरी राज्य सरकारों की एडवाइजरी कमेटी होती है और जिस प्रकार से अन्य माइंस की बैलफेयर कमेटीज बनी है, माइका माइंस के तमाम, उनमें वराबर इनका प्रतिनिधित्व रहता है। एसा नहीं हैं कि इनमें मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं रहता है। जैसा कि ट्रिपार्टाइट कमेटीज आपने कहा, जिस प्रकार अन्य कमोटियां है, उसी प्रकार से इन कमोटियों की भी रचना की जाती है और विशेष जो लोगों को को-जाप्ट करने का अधिकार दे रहे है...

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE : That is, any person can be co-opted ?

श्री धर्मवीरः लेकिन एरेसा है कि एनी पर्सन के मतलब यह नहीं कि रास्ते चलते किसी पर्सन को को-आपट कर लें, लेकिन हमारा जो मंशा है, जो अन्य कमोटियों में भी है –

any person can be co-optod

लेकिन को-आण्ट उन्हीं को किया जाता है, जो उस विषय में दिलचस्पी रखते हों, या उस विषय के एक्स्पर्टंस हों, या जान-कारी रखते हैं, एसे व्यक्तियों को ही को-आप्ट करते हैं और अगर एसे कोई सदस्य हैं जो हमारेध्यान में लाइये क्योंकि जितनी और कमटीज हैं, वह सारी मजदरों के एक्सपटींज के भी इसमें मेम्बर्स होते हैं।

इसी प्रकार, श्रीमन्, मैंने प्रयास किया है कि सम्मानित सदस्यों ने जो सुफाव दिये है, या जो अपने दिचार दिए गये हैं, उन को मैं सन्तृष्ट करने के लिए उत्तर दे सकूं और जैसा मैंने पहले भी निवदेन किया है, उनके सूफावों को हमने बड़ी गम्भीरता से लिया है और मैं उनके साथ सहयोग करता हु कि श्रमिकों के कल्याण की जो योजनाएं है, वह और अधिक प्रभावकारी ढ़ग से लागू होनी चाहिए ताकि जो श्रमिक खानों में काम करते है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा अस्रा न पड़े, उनके बच्चों की चिक्षा-दीक्षा, चिकित्सा की सुविधा अच्छी हो, इस बारे में हम सतकांशील है।

मूओ आशा है कि माननीय सदस्यों का समय-समय पर इस प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा, तो हम निश्चित रूप से श्रमिकों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक काम कर सकोंगे।

इन्हीं श्रव्यों के साथ मैं माननीय भग जी से निवदन करूंगा -- क्योंकि वे जानते हैं कि इस बिल को लाने में काफी विलम्ब हो चुका है और लाके सभा ने इसको पारित कर दिया है, तो वह अपने सिलंक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव को बापिस ले लें । हमने उनके सूभाव को बड़ी गम्भीरता से लिया है और उस पर हम अवस्थ कार्यवाही करगे। आपको विश्वाय में लेते हुए, उन भावनाओं का आदर करते हुए कि सब धामकों का कल्याण हों, मैं चाहूंगा कि वह इस संकोधन को वापिस ले लें और इस बिल को जिस प्रकार से सामूहिक रूप सं सभी ने इसका स्वागत किया है, इसका स्वागत कर ।

श्री राम नरके कुझबाहाः श्रीमन्, मैंने सिलिका सैंड के बारे में कहा था ।

श्री धर्मवीरः माननीय श्री कुशवाहा जी ने सिलिका सैंड के बारे में कहा था। सिलिका

#### 317 Limestone and Dolomite [ Mines Labour

सैंड, या जो माइंस से आइटम्स निकलते हैं, उनको हम माइंस एक्सपर्ट के पास भेजते हैं और अगर वह सर्टिफाई कर दते हैं कि हां यह इसके अन्तंगत आता है, तभी लते हैं। सिलिका सैंड अभी इसमें नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें कैलकेरि-यस डिपाजिट होना आवश्यक हो, जोकि लाइमसटोन के लिए एक आवश्यक तत्व है, अगर कैलकोरियस डिपाजिट उसमें नहीं मिलता, तो वह नहीं जा सकता ।

लेकिन इसके लिए हम माइंस ब्यूरों को लिखेंगे कि सिलिका सैंड के लिए अपनी राय दै। अगर उसमें कैलकोरियस डिपाजिट हैं, तो उसको लेने में हमको कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री राम नरेंश कुशवाहीः क्या वजह है कि सारी खानों को ले लिया और इलाहा-बाद का सिलिका सैंड रह गया ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप उसके बारे में क्यों इतना प्रेम दर्शा रहे ह<sup>4</sup> ?

श्री धर्मवीर: मैंने कहा कि अभी तक इस बात का सफ्टीकरण नहीं था कि उसमें कैलकेरियस डिपाजिट है कि नहीं। यह उसमें एक प्रकार से क्षर्त है कि यदि कैलकेरियस डिपाजिट पाए जायेगें, तभी इसमें आ पायेंगे।

मैंने आपको बताया है कि इसके लिए माइन्स व्यूरो को लिखा जायेगा कि वै फिर से जांच करें। अगर उस में कैल-केरियस डिपोजिट पाया जायेगा तो उस को ले लिया जाएगा।

श्री राम नरजे कुझवाहाः वह कब तक होगा ?

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम): अब मैं श्री शिव चन्द्र का के संशोधन पर मत ले रहा हूं।

श्री झिव चन्द्र भाः उपसभाष्यक्ष महादेय, यह भी हमारे साथ में है। मंत्री महादेय ने बहत आक्वासन दिए हैं, दिल से दिए हैं, इस लिए मैं इस को विदडा़ करता हूं।

श्री धर्मवीरः मैं शिव चन्द्र भाजी का आभारी हुं।

#### Welfare Fund (Amdt.)318 Bill, 1982

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LADLI MOHAN NIGAM): The question is :

" That leaves be granted to" the Mover to withdraw his amend= ment."

The motion 'was adopted.

\*The amendment was, by learnt with' drawn

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम)ः अब मैं श्री धर्मावीर जी के प्रस्ताव को मत के लिए रख रहा हुं।

The question is :

"That the Bill to amend the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

उपसभाध्यक्ष (थी लाडली मोहन निगम)ः अब मैं इस बिल पर धारावार मत लेना चाहता हूं --

Clauses 2 to % were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

# भी धर्मवीरः में प्रस्ताव करता हूं कि जिधेयक पारित किया जाए ।

*The question was put and the motion was adopted.* 

\*For the text of the amendment, *vide* cols. 254 supra.